

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 510 / 07

संस्थित दि.: 21 / 08 / 07

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

1. हिम्मतसिंह धुर्वे पिता चैनसिंह धुर्वे, उम्र 37 साल, जाति गोंड,
निवासी ग्राम गोवारी थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. जितेन्द्र पिता सुमेरसिंह धुर्वे, उम्र 29 साल, जाति गोंड,
निवासी ग्राम गोवारी थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 13 / 11 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 / 34 का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 08 / 08 / 2007 के 03:00 बजे से दिनांक 10.08.2007 के दोपहर के 02:00 बजे के दरमियान स्थान ग्राम गोवारी में प्रार्थी राजकुमार के घर में जो मानव निवास / सम्पत्ति की अभिरक्षा में उपयोग में आता था सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्यास्त के पूर्व प्रच्छन्न कर गृह अतिचार कारित किया एवं आरोपीगण ने चोरी करने के आशय से फरियादी के कब्जे के एक पीतल गुंड, एक कसेला, एक प्रेशर कुकर कुल कीमती लगभग 1700 / — रुपये की सम्पत्ति को बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राजकुमार ने दिनांक 11.08.2007 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि वह दिनांक 08.08.2007 को उसके घर के पीछे का दरवाजा खुला था।

बीच के कमरे में सामान बिखरा पड़ा था उसने सामान चेक किया तो एक पीतल की गुंडी, एक पीतल का कसेला, 15 लीटर का कुकर चोरी हो गया था। फरियादी के लिखित आवेदन पत्र के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 67/07 अन्तर्गत धारा 457, 380, 34 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380/34 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने मात्र शंका के आधार पर उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की है और उन्हें झूठा फंसाया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपीगण ने दिनांक 08/08/2007 के 03:00 बजे से दिनांक 10.08.2007 के दोपहर के 02:00 बजे के दरमियान स्थान ग्राम गोवारी में प्रार्थी का मकान थानान्तर्गत बैहर में चोरी करने के आशय से प्रार्थी राजकुमार के घर में जो मानव निवास /सम्पत्ति की अभिरक्षा में उपयोग में आता था सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्यास्त के पूर्व प्रच्छन्न कर गृह अतिचार कारित किया?

(2) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर एक राय होकर प्रार्थी के कब्जे के एक पीतल गुंड, एक कसेला, एक प्रेशर कुकर कुल कीमती लगभग 1700/- रुपये की सम्पत्ति को बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की?

— :: सकारण निष्कर्ष :: —

विचारणीय बिन्दु क्रमांक '1' एवं '2' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु '1' एवं '2' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी राजकुमार (अ.सा.01) का कहना है कि घटना के समय वह घर पर नहीं था तो उसके भाई ने उसे फोन करके बताया कि उसके घर का पीछे का दरवाजा खुला है तो उसने बालाघाट से आकार देखा तो उसके घर का पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उसके घर से एक पीतल गुंड, एक कसेला, एक प्रेशर कुकर चोरी हो गये थे। फागूलाल बोरकर ने उसे बताया कि गांव के लड़के दाके घर के आसपास घूम रहे थे। उसी सन्हेद के आधार पर उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्रदर्श पी-01 का लिखित आवेदन थाना बैहर में प्रस्तुत कर प्रदर्श पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि उसके भानजे ने बताया कि आरोपी हिम्मत और जितेन्द्र घर के आसपास घूम रहे थे उसे बताया था। उसने शंका के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता राजेन्द्र सिलेवार (अ.सा.06) का कहना है कि उसने दिनांक 11.08.2007 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रार्थी की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी हिम्मतसिंह का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-04 एवं आरोपी जितेन्द्र का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-06 गवाह उमेदसिंह, राधेसिंह के समक्ष तैयार किया था। आरोपी हिम्मतसिंह से एक पीतल का कसेला, एक कुकर एल्युमिनियम का तथा आरोपी जितेन्द्र से एक पीतल की गुंडी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-05 एवं 7 तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-08 एवं 9 तैयार किया था। फरियादी राजकुमार साक्षी मोहन, संजयकुमार, के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। फरियादी राजकुमार के द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन में

आधार पर श्याम प्रकाश गायनेवार ने आरोपीगण के विरुद्ध प्रदर्श पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी।

(09) किन्तु अभियोजन साक्षी उमेदसिंह (अ.सा.02) का कहना है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी हिम्मतसिंह एवं आरोपी जितेन्द्र से पूछताछ कर कोई कथन नहीं लिये थे और न ही कोई जप्ती की कार्यवाही की थी तथा न ही आरोपीगण को गिरफ्तार किया था किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-04 व 06 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 व 07 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-08 व 09 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने कोई पहचान कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु शिनाख्ती मेमो प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपीगण से उसके सामने पुलिस ने पूछताछ कर मेमोरेण्डम तैयार किया और चोरी का सामान उसके सामने जप्त किया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया इस बात से इन्कार किया है।

(10) अभियोजन साक्षी राधेसिंह (अ.सा.03) का भी कहना है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी हिम्मतसिंह एवं आरोपी जितेन्द्र से उसके सामने पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की और न ही कोई जप्ती की कार्यवाही की थी किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-04 व 06 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 व 07 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार किया था गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-08 व 09 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने कोई पहचान कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु शिनाख्ती मेमो प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपीगण से उसके सामने पुलिस ने पूछताछ कर मेमोरेण्डम तैयार किया और चोरी का सामान उसके सामने जप्त किया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया इस बात से इन्कार किया है।

(11) अभियोजन साक्षी मोहन (अ.सा.04) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संजय (अ.सा.05) का कहना है कि उसने घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न

पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(12) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है। फरियादी ने मात्र शंका के आधार पर उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई है एवं असत्य कथन किये हैं। फरियादी राजकुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मात्र शंका के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध लिखित आवेदन प्रस्तुत कर प्रदर्श पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी/फरियादी राजकुमार (अ.सा.01) का कहना है कि घटना के समय वह घर पर नहीं था तो उसके भाई ने उसे फोन करके बताया कि उसके घर का पीछे का दरवाजा खुला है तो उसने बालाघाट से आकार देखा तो उसके घर का पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उसके घर से एक पीतल गुंड, एक कसेला, एक प्रेशर कुकर चोरी हो गये थे। फागूलाल बोरकर ने उसे बताया कि गांव के लड़के दाके घर के आसपास घूम रहे थे। उसी सन्देह के आधार पर उसने आरोपीगण के विरुद्ध प्रदर्श पी-01 का लिखित आवेदन थाना बैहर में प्रस्तुत कर प्रदर्श पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि उसके भानजे ने बताया कि आरोपी हिम्मत और जितेन्द्र घर के आसपास घूम रहे थे उसे बताया था। उसने शंका के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी।

(15) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता राजेन्द्र सिलेवार (अ.सा.06) का कहना है कि उसने दिनांक 11.08.2007 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये प्रार्थी की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी हिम्मतसिंह का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-04 एवं आरोपी जितेन्द्र का

मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-06 गवाह उमेदसिंह, राधेसिंह के समक्ष तैयार किया था। आरोपी हिम्मतसिंह से एक पीतल का कसेला, एक कुकर एल्युमिनियम का तथा आरोपी जितेन्द्र से एक पीतल की गुंडी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-05 एवं 7 तैयार किया था। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-08 एवं 9 तैयार किया था। फरियादी राजकुमार साक्षी मोहन, संजयकुमार, के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। फरियादी राजकुमार के द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन में आधार पर श्याम प्रकाश गायनेवार ने आरोपीगण के विरुद्ध प्रदर्श पी-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी।

(16) किन्तु अभियोजन साक्षी उमेदसिंह (अ.सा.02) का कहना है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी हिम्मतसिंह एवं आरोपी जितेन्द्र से पूछताछ कर कोई कथन नहीं लिये थे और न ही कोई जप्ती की कार्यवाही की थी तथा न ही आरोपीगण को गिरफ्तार किया था किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-04 व 06 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 व 07 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-08 व 09 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने कोई पहचान कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु शिनाख्ती मेमो प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपीगण से उसके सामने पुलिस ने पूछताछ कर मेमोरेण्डम तैयार किया और चोरी का सामान उसके सामने जप्त किया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया इस बात से इन्कार किया है।

(17) अभियोजन साक्षी राधेसिंह (अ.सा.03) का भी कहना है कि उसके सामने पुलिस ने आरोपी हिम्मतसिंह एवं आरोपी जितेन्द्र से उसके सामने पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की और न ही कोई जप्ती की कार्यवाही की थी किन्तु मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-04 व 06 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 व 07 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार किया था गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-08 व 09 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने कोई पहचान कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु शिनाख्ती मेमो प्रदर्श पी-10 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपीगण से उसके सामने पुलिस ने पूछताछ कर मेमोरेण्डम तैयार किया और चोरी का सामान उसके सामने जप्त किया

तथा आरोपी को गिरफ्तार किया इस बात से इन्कार किया है।

(18) अभियोजन साक्षी मोहन (अ.सा.04) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संजय (अ.सा.05) का कहना है कि उसने घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

(19) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी राजकुमार और विवेचनाकर्ता ने अभियोजन का समर्थन किया है, किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी मोहन और संजय ने घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना व्यक्त किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया एवं मेमोरेण्डम, जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी राधेसिंह और उमेदसिंह ने आरोपीगण से उनके सामने पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उनके सामने पुलिस ने मेमोरेण्डम तैयार किया था और न ही आरोपीगण से उनके सामने कोई जप्ती हुई थी और न ही पुलिस ने उनके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी राजकुमार एवं विवेचनाकर्ता के कथन तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी एवं मेमोरेण्डम, जप्ती, गिरफ्तारी के साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। आरोपीगण ने दिनांक 10.08.2007 के दोपहर के 02:00 बजे के दरमियान स्थान ग्राम गोवारी में प्रार्थी राजकुमार के घर में जो मानव निवास /सम्पत्ति की अभिरक्षा में उपयोग में आता था सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्यास्त के पूर्व प्रच्छन्न कर गृह अतिचार कारित किया एवं आरोपीगण ने चोरी करने के आशय से फरियादी के कब्जे के एक पीतल गुंड, एक कसेला, एक प्रेशर कुकर कुल कीमती लगभग 1700/- रुपये की सम्पत्ति को बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(20) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 10.08.2007 के दोपहर के 02:00 बजे के दरमियान स्थान ग्राम गोवारी में प्रार्थी

राजकुमार के घर में जो मानव निवास / सम्पत्ति की अभिरक्षा में उपयोग में आता था सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्यास्त के पूर्व प्रच्छन्न कर गृह अतिचार कारित किया एवं आरोपीगण ने चोरी करने के आशय से फरियादी के कब्जे के पीतल गुंड, एक कसेला, एक प्रेशर कुकर कुल कीमती लगभग 1700/- रुपये की सम्पत्ति को बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(21) परिणाम स्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380/34 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(22) प्रकरण में आरोपीगण जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(23) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक पीतल गुंड, एक कसेला, एक प्रेशर कुकर (यूनाइटेड) कम्पनी का सुपुर्दगी पर है सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)